International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor – 5.136
Vol.4 No. 5 May - June 2017

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

डॉ. मंजूषा श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
श्री अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर (झाँसी)

प्रस्तावना :-

वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञान होता है कि नारी को समाज और परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्रियों में बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा नहीं थी। स्त्रियाँ न केवल शिक्षा की दृष्टि से वरन् कला कौशल एवं युद्ध-विद्या की दृष्टि से भी पुरूषों के समकक्ष थीं। नारी पुरूष में विशेष भेद नहीं था। दोनों सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थे। विवाह का उद्देश्य सिर्फ काम-वासना की पूर्ति नहीं, उससे भी ऊपर पत्नी के साथ मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन, धर्मानुष्ठान, यज्ञ सम्पादन व श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति था। अथर्ववेद में कहा गया है, ''नरवधू तू जिस घर में जा रही है, वहाँ की तू साम्राज्ञी है। तेरे ससुर, सास, देवर व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित है।'' ऋग्वेद की रचना में योगदान करने वाली बीस विदुषियाँ थी जिनमें- रोमषा, अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि प्रसिद्ध थी। अश्वमेद्य यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ में महिर्षी की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक थी। उसके बिना यज्ञ विधिवत् सम्पन्न नहीं हो सकते थे। यजुर्वेद के अनुसार नारी को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। वेदकालीन समाज पितृसत्तात्मक होने से उसमें पुत्र को पुत्री से वरीयता दी गई है तथा पुत्र-कामना का वर्णन यत्र-तत्र मिलता है। परन्तु पुत्र कामना रखने पर भी पुत्री का तिरस्कार नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था एवं आजीवन कुंवारी रहने की इच्छा पर पुत्री को पिता के सम्पत्ति में उत्तराधिकार दिया गया था। विवाहित स्त्रियाँ अपने 'स्त्री धन' को इच्छानुसार खर्च कर सकती थी।

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में भी स्त्रियाँ सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से ग्रस्त थी। अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा-प्रथा, पुरूषों पर निर्भरता, विधवा-विवाह निषेध इत्यादि अनेक कारण नारी की हीन दशा के लिए उत्तरदायी थे। भारत में महिलाओं की दशा को सुधारने एवं महिला सशक्तिकरण की शुरूआत १९वीं शताब्दी के समाज सुधार आन्दोलन के साथ मानी जाती है, जिसके अग्रदूत राजा राममोहन राय थे उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप ही १८२९ में 'सती प्रथा' के विरूद्ध कानून पारित हुआ। तत्पश्चात् ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयासों से जुलाई १८५६ में ''हिन्दू विधवा पुनर्विवाह'' को कानूनी अनुमति प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप प्रथम विधवा विवाह कालिन्दी देवी का पंडित रामचन्द्र विद्यारतन से हुआ। १८७२ में केशवचन्द्र सेन के प्रयत्नों से नेटिव मेरिज एक्ट

पास हुआ जिसमें बहुविवाह को दण्डनीय अपराध माना गया और बाल विवाह निषेध ठहराया गया तथा अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई। स्वामी दयानन्द सरस्वती एवं स्वामी विवेकानन्द इत्यादि अनेक समाज सुधारकों ने भी नारी की अधीन स्थिति में सुधार तथा नारी अधिकारों के क्रियान्वयन एवं प्राप्ति हेतु उल्लेखनीय प्रयास किए। १८७५ तक कलकत्ता, मद्रास एवं मुम्बई विश्वविद्यालयों में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पंडिता रामबाई द्वारा हंटर कमीशन के सम्मुख स्त्री शिक्षा की मांग रखी गयी। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप ही कादम्बिनी बसु को प्रथम महिला स्नातक होने का गौरव प्राप्त हुआ। १८८८ में आनन्दी बाई प्रथम महिला थी जो विद्या अर्जन के लिए विदेश गयी। स्वर्णकुमारी ने प्रथम महिला सम्पादक के रूप में **''भारत पत्रिका''** का सम्पादन किया व महिलाओं के लिए **'सखी समिति'** की स्थापना की। इन्हीं सब प्रयासों में महिलाओं में घरेलू दायरों से बाहर अपने अधिकारों के प्रति एक सक्रिय जागृति को जन्म दिया। जिस कारण इस समय को **''महिला युग''** कहा गया क्योंकि न केवल भारत वरन् सम्पूर्ण विश्व में नारी-अधिकारों के प्रति एक नवीन चेतना व जागृति उत्पन्न हो रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कुछ प्रयासों का जिक्र यहाँ पर किया जाना आवश्यक है- १८४० में संयुक्त राज्य अमेरिका में लुक्रीशिया ने समान अधिकार संगठन की स्थापना करके नीग्रो महिलाओं के समान अधिकारों की मांग की। अमेरिका में ही ८ मार्च १८५७ को न्यूयार्क के सिलाई और वस्त्र उद्योग में कार्यरत महिलाओं ने पुरूषों के समान वेतन एवं १० घंटे के कार्य दिवस के निर्धारण हेतु हड़ताल की थी जिस कारण इस दिवस को विश्व भर में ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। १८५६ में सेंट पीटर्सवर्ग (सोवियत संघ) में महिला मुक्ति आंदोलन का सूत्रपाल हुआ था। १८५६ में अमेरिका में राष्ट्रीय महिला मताधिकार संगठन तथा १८८२ में फ्रान्स में महिला अधिकार संगठन की स्थापना की गई। महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड में १८९३, नार्वे में १९१३, फ्रांस में १९३६, इटली में १९४५ को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त १९५१ में ''अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन'' ने महिलाओं को पुरूषों के समान वेतन दिलाने हेतु समान श्रम के लिए समान वेतन सम्बन्धी प्रस्ताव तथा १९५२ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। १९७५ में कोपेनहेगन में महिला, १९८५ में नैरोबी में दूसरा तथा १९९५ में शंघाई में तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इन सबसे विश्व स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बल दिया।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय एवं समन्वित प्रयास स्वतंत्रता के उपरांत ही किए गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का कहना था ''लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है।''

भारत महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु कृतसंकल्प है। इसके लिए अनेक प्रयास भी किये जा रहे हैं। यह अलग बात है कि समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहा है। १९७० के दशक तक राज्य की नीतियाँ महिला कल्याण पर जोर देती रहीं। १९८० के दशक में महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाता रहा तथा १९९० के दशक में 'सशक्तिकरण' पर जोर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय समाज अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में

सफल नहीं हो पा रहा है इसका कारण महिला शिक्षा और उनकी उच्च शिक्षा का लक्ष्य के अनुरूप विकास न कर पाना रहा है।

किसी भी सशक्त समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उस सामाजिक व्यवस्था को समाज के सभी सदस्यों का सकारात्मक योगदान हो। भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था का केन्द्रीय उद्देश्य यह रहा है कि समाज के सदस्यों के व्यक्तित्व का बेहतर सामाजिक-सांस्कृतिक विकास हो एवं उत्तरदायी नागरिक का निर्माण हो। इसके पीछे व्यवस्था में समान सहभागिता का सिद्धांन्त कार्य करता है। अगर हम महिलाओं से उनके अनुपात के परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए योगदान की अपेक्षा रखते हुए तो यह तब तक सम्भव नहीं हो पायेगा जब तक कि हम व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें उनका वास्तविक हक न दे पायें। उन्हें उनका वास्तविक हक प्रदान करना इसलिए भी आवश्यक है कि विश्व का कोई भी समाज अपनी लगभग आधी आबादी को उपेक्षित करके विकास रूपी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है।

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ गरीबी और अशिक्षा एक भयंकर समस्या है, वहाँ स्त्रियों की उच्च शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियाँ आज भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है। हमारे संविधान में स्त्री और पुरूष दोनों को समानता का दर्जा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी वर्ग, लिंग या सम्प्रदाय का हो उसे शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। भारत के शिक्षा को आधुनिकीकरण, महत्वकांक्षी प्रौद्योगिकी, उतपादकता और गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना गया है। वास्तव में शिक्षा को सामाजिक बदलाव की स्वीकृति या अस्वीकृति का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। उच्च शिक्षा समाज में लम्बवत् सामाजिक गतिशीलता लाने में सक्षक है। शिक्षा पाना प्रत्येक व्यक्ति की न सिर्फ न्यूनतम आवश्यकता है, बल्कि अधिकार भी हैयह देश के आर्थिक विकास तथा लोकतांत्रिक ढाँचे के विकास की गति में उर्वरक का काम करती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे नीति निर्धारकों की सही जांच और योजनाओं की वजह से शिक्षा और विशेष रूप में स्त्री शिक्षा की तरफ देश को आजादी मिलने से पहले के वर्षों के मुकाबले बहुत ध्यान दिया गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला के उच्च शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जाये और जिस तरह हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया गया है उसी प्रकार महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने हेतु भी विशेष अभियान चलाने की जरूरत है।

किन्तु हमारा वर्तमान भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, संक्रमण मूल्य, विचारधारा मान्यता संरचना एवं संस्कारों के प्रकार्य के स्तर पर परिलक्षित हो रहा है एक ओर सदियों के अनुभव मंथन तथा अंतर्संबंध के मध्य से अद्भुत पुरातन मूल्य एवं संस्थाएँ हैं जो कोटि-कोटि भारतीयों की क्रिया व्यवहार, आचार और विश्वास के आधार एवं प्रेरणा स्त्रोत हैं तो दूसरी ओर आधुनिक विचारधारा, विज्ञान, प्रविधि, उद्योग विधि तथा नियम हैं जो सामाजिक संरचना के रूपांतरण, नई संस्थाओं के निर्माण विकास तथा आधुनिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक मूल्यों पर बल देते हैं। वर्तमान समाज के सामने आज यह प्रश्न उपस्थित है, कि क्या भारतीय चिन्तन की पुरातन परम्परा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक है। इसी प्रश्न के समाधान कारक चिंतन की परिणति है- नारी स्वातंत्र्य चेतना और

नारी सशक्तिकरण। नारी उद्धार से यह चेतना जागृत हुई। नारी जागरण और समाज में उन्हें उचित स्थान दिलाने का कार्य उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से शुरू हुआ था, एक ओर राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी जैसे महान समाज सुधारकों ने इस दिशा में भरपूर प्रयत्न किये वहीं दूसरी ओर पश्चिम की नारी से प्रभावित होकर भारतीय नारी ने अपने स्वरूप को पहचानना प्रारंभ कर दिया। पुरूष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर देश के विकास में बराबर भाग लेती हुई पश्चिम की नारी को देखकर भारतीय नारी ने भी रूढ़िवादी जीवन को तिलांजलि देकर नवयुग का आव्हान किया। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने स्त्रियों को राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी बनाया वे प्रायः कहा करते थे ''स्त्री प्रेम और आत्म पीड़ा का मूर्त रूप होती है वे बड़ी सरलता से नेतृत्व का निर्वाह कर सकती है।

देखते-देखते कल तक जो महिलाएँ घर की चार दीवारी से बाहर निकलने में झिझकती थी वह आज राजनैतिक व्यवस्था, पंचायती राज और विभिन्न क्षेत्रों में कुशल नेतृत्व कर रही हैं। महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली ने यह सिद्ध कर दिया है कि क्षेत्र विशेष के विकास और वहाँ की मूलभूत समस्याओं के निराकरण और लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों को सुलभ कराने में उनकी भूमिका न केवल बेहतर है वरन् सकारात्मक है। स्वातंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में महिलाओं को बराबरी के साथ लाने का प्रयास जारी है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस सामाजिक व्यवस्था को भोगा था, उसमें उन्होंने स्त्री की दुर्दशा को निकट से जाना था उनका मानना था कि समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे-स्त्री को शिक्षा से दूर रखना, पति की दासी मानना, पिता या पुत्र पर आश्रित होना, स्वनिर्णय से दूर रखना ये सब ऐसी बातें हैं जो महिलाओं के विकास को तो अवरूद्ध करते ही हैं समाज व राष्ट्र के विकास को भी बाधित करते हैं इसलिए उनका मानना थ कि ''यदि देश व समाज को उन्नत करना है तो वहाँ की महिलाओं को आगे बढ़ाना, सशक्त बनाना आवश्यक है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद १५,१६, एवं १९ में महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार प्रदान किये गये, साथ ही नीति निर्देशक सिद्धान्तों में राज्य से यह उपेक्षा की गई कि वे महिलाओं के विकास हेतु विशिष्ट प्रयास करेगा। डॉ. अम्बेडकर न इन नीति-निर्देशक तत्वों के संबंध में संविधान सभा में कहा था कि ''हमें राजनीतिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करनी है और उसके लिए निर्देशक तत्व हमारे आदर्श हैं। पूरे संविधान का उद्देश्य इन आदर्शों का पालन करना है, निर्देशक तत्व सरकार के लिए जनता का आदेश-पत्र है। जनता ही उनका बल है और जनता किसी भी कानून से अधिक शक्तिशाली है। भारतीय संविधान समाज, कानून में महिलाओं को आज जो सुविधाएँ प्राप्त है। उसके बल पर उन्होंने आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार हेतु भी महिलाओं को संगठित होने का परामर्श दिया वे स्त्रियों की आत्मनिर्भरता के शुरू से पक्षधर थे व स्त्रियों की पुरूषों पर आश्रितता के लिए मनुवादी संस्कृति को जिम्मेदार मानते थे उनका मानना था कि स्त्री का विकास ही समाज विकास का मापदण्ड है।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ''राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति-२००१'' की घोषणा की गयी। इस नीति का लक्ष्य देश में महिलाओं की उन्नति विकास तथा शक्ति सम्पन्नता है। महिलाओं के लिए सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के माध्यम से विकासात्मक वातावरण का सृजन किया

जायेगा तथा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा समस्त मौलिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों के वस्तुतः उपयोग हेतु वातावरण तैयार करने हेतु प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को पुष्ट करने के लिए सभी स्तरों पर लिए जाने वाले निर्णयों में महिलाओं को भगीदार बनाया जाएगा तथा महिलाओं को मुख्यधारा में लाने वाले सभी तंत्रों तथा प्रयासों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।'' महिला सशक्तिकरण की यह नीति महिलाओं के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, इसके साथ ही कई राज्यों में महिला आयोगों का भी गठन हो चुका है। राज्य सरकारें भी महिला कल्याण हेतु, कन्यादान योजना, कन्या विद्याधन योजना, महिला समूहों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना, पंचधारा, योजना, वात्सल्य योजना, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना, कल्पवृक्ष योजना, जाबलि योजना, इंदिरा सहारा योजना, राजलक्ष्मी योजना, इंदिरा सूचना शक्ति योजना, अपनी बेटी अपना धन योजना, कामधेनु योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रतिभा किरण योजना, गाँव की बेटी, योजना आदि संचालित करती है। निःसंदेह राज्य सरकारों द्वारा संचालित इन महिला कल्याण कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण को एक नई ऊर्जा मिली है।

महिलाओं के उत्थान हेतु निरन्तर किये गये प्रयासों ने निःसंदेह विज्ञान तकनीकी शिक्षा, राजनीति, मीडिया, न्यायिक आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, सेवा, चिकित्सा सभी भागों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की सम्पत्ति में पुत्रों के समान उन्हें भी अधिकार प्रदान किया गया, महिलाएँ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हुई है तथा अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रदर्शन भी किया है। लेकिन इस स्तर पर पहुंचने में महिलाओं को दीर्घकाल तक संघर्ष करना पड़ा है तब कहीं जाकर सामाजिक राजनैतिक तथा कुछ हद तक आर्थिक क्षेत्र में वे पुरूषों के साथ समान रूप से सहभागी होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारतीय राजनीति एवं निर्णय प्रक्रिया में यद्यपि महिलाओं की संख्या अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी इस रूढ़िवादी देश में लोकतंत्र के विकास एवं पल्लवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।'' लोकतंत्रीकरण की अर्ध सदी गुजर जाने के बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र में समाज की आधी आबादी को जो हिस्सा एवं दर्जा मिलना चाहिए था वह अभी भी उससे वंचित हैं समस्त प्रयासों के उपरान्त महिला सशक्तिकरण का प्रश्न राजनीतिक, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक उन्नयन की मुख्य धारा के साथ जुड़ नहीं पाया है। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बावजूद वास्तविकता यह है कि भारत लैंगिक, समानता के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक है। महिलाओं की दशा व दिशा सुधारने के लिए भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में विशेष रूप से सत्ता के गलियारे में स्थान बनाने की दिशा में एक सदी के आंदोलन के पश्चात् महिलाओं को थोड़ी जगह मिली है। दुनिया भर की महिलाएँ और संगठन ८ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज बुलन्द करते हैं। उनको सशक्त बनाने के लिए आवाज बुलन्द करते हैं, ताकि उनका हक प्राप्त हो सके। इतने प्रयासों के बावजूद भी महिला, सशक्तिकरण आंदोलन को सही दिशा व गति अभी तक नहीं मिल पाई है आज भी इस दिशा में अनेक चुनौतियां हैं अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक ढाँचा एवं सामन्तवादी सोच, लिंगीय भेदभाव, अभाव या गरीबी असमानता और अन्याय, मूल्यों का अभाव या संकट तथा समग्र विकास का अभाव इन बाधाओं को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा तक

महिलाओं की अधिकाधिक पहुंच को सुनिश्चित किया जाएं शिक्षा के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाये। राजनैतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन लाये बिना महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, महिला मानवाधिकारों की रक्षा प्रत्येक दशा में की जाए। महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाए। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, लोकतंत्र स्थापित किया जाए, अशिक्षित गरीबी और ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता प्रसार हेतु सघन कार्यक्रम चलाये जायें। ये सभी प्रयास यदि पूरी ईमानदारी से किये जाए तब सही मायने में महिला सशक्तिकरण की धारणा सार्थक हो सकेगी और तभी समाज एवं राष्ट्र उन्नति कर सकेगा।

सन्दर्भ सूची :-

१. डॉ. राजकुमार–महिला एवं बाल विकास
२. स्माचार पत्र–दैनिक जागरण एवं अमर उजाला, हिन्दुस्तान।
३. चतुर्वेदी, जगदीश्वर, स्त्री अस्मिता।
४. शर्मा, प्रज्ञा, महिला विकास और सशक्तिकरण, २००७
५. आशा कौशिक : नारी सशक्तिकरण, विमर्श एवं यथार्थ, बुक इनक्लेव, जयपुर।
६. शर्मा, जी.एल. (२०१५) सामाजिक मुद्दे, राव पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. ४२०–४२१
७. विप्लव (२०१३) महिला सशक्तिकरण : विविध आयाम, राहुल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, पृ. १०७, १११